५।७।२५

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी अनुपस्थित हैं। पैरोकार सरकार द्वारा मूल पत्रावली में राजहित प्रभावित नहीं होने की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	टिप्पणी दर्ज की। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र धारा 212 LRA स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया। फरीकैन सरकार द्वारा राजहित प्रभावित नहीं होने तथा प्रकरण को साबित करने का भार प्रार्थी पर बताया। वकील अप्रार्थी श्री धर्मवीर बामनिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार कथन करते हुये बहस की कि पत्रावली की मूल पत्रावली में बंटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी है। तथा मौके पर वर्तमान समय मे मौका से सम्बन्धित कोई विवाद प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के मध्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें। पत्रावली में उभयपक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन तथा बहस उभयपक्षकारों का मनन किया गया। मूल पत्रावली में बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर जरिए तहसीलदार भिनाय से बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत आदेश पारित किया गया है। तथा प्रकरण मे मौके पर कोई विवाद स्थिति से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं है। तथा वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस/कथनों में भी इस बाबत निवेदन नहीं किया गया है। अतः पत्रावली में दिनांक 12/10/2022 को जारी अस्थाई अन्तरिम निषेधाज्ञा का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/10/22 दि लगातार	

५/७/२५

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी उपस्थित हैं। पैरोकार सरकार द्वारा मूल पत्रावली में राजहित प्रभावित नहीं होने से

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	टिप्पणी दर्ज की। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र धारी 212 LRA स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा राजकीय प्रभावित नहीं होने तथा प्रकरण को साबित करने का भार प्रार्थी पर बताया। वकील अप्रार्थी श्री धर्मवीर बागमनिया द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार कथन करते हुए बहस की कि पत्रावली की मूल पत्रावली में बँटवारे की प्राथमिक डिक्री जारी किया जा चुकी है। तथा मौके पर वर्तमान समय मे मौका से सम्बन्धीत कोई विवाद प्रार्थी व अप्रार्थीगणों के मध्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावें। पत्रावली में उभयपक्षकारों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन तथा बहस उभयपक्षकारो का मनन किया गया। मूल पत्रावली में बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार भिनाय से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करने बाबत आदेश पारित किया गया है। तथा प्रकरण मे मौके पर कोई विवाद स्थिति से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नहीं है। तथा वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस / कथनो में भी इस बाबत निवेदन नहीं किया गया है। अतः पत्रावली में दिनांक 17/10/2022 को जारी अस्थाई अन्तरिम निषेधाज्ञा का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः पत्रावली मे जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 17/10/22 लगातार. ह/-	

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

आदेश अपास्त किया जाकर निष्प्रभावी घोषित किया जाता है। तथा प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 LRA अनुतोष योग्य ना होने तथा प्रार्थीगणों द्वारा अनुतोष योग्य होना सिद्ध करने में असफल रहने के कारण, खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 4/1/24 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)